भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2755

दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

कुपोषण की स्थिति

2755. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद कुपोषण की समस्या का सामना नहीं किया जा सका है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण पर काम करने वाली सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर कोई समन्वय समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारक कदम उठाए गए है;

(घ) क्या सरकार के विनियमन का पालन न करना, सरकारी एजेंसियों के बीच जवाबदेही की कमी और निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार कुपोषण के बढ़ते मामलों के कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ड.) : कुपोषण गरीबी, पहुंच और उपलब्धता की समस्याओं के चलते अपर्याप्त खाद्य खपत, असमान खाद्य वितरण, अनुचित मातृ, शिशु और बालक आहार और देखभाल पद्धतियों, असमता और लिंग असंतुलनों, खराब स्वच्छता और पर्यावरणीय दशाओं; गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ, शिक्षा और सामाजिक देखरेख सेवाओं तक सीमित पहुंच सहित अनेक कारकों से जनित एक जटिल और बहु-आयामी मुद्दा है।

2015-16 में संचालित एनएफएचएस-4 की रिपोर्ट के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के 35.7% बच्चे अल्पवज़नी और 38.4% ठिगने हैं। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण(सीएनएनएस) (2016-18) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों में अल्पवज़न और ठिगनेपन का प्रचलन क्रमशः 33.4% और 34.7% है, जो एनएफएचएस-4 में सूचित स्तरों की तुलना में कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, एनएफएचएस-4 के अनुसार 22.9% महिलाओं में (15-49 वर्ष की आयु की) जीर्ण ऊर्जा न्यूनता (18.5 से कम बीएमआई) है, जो पिछले एनएफएचएस-3 (2005-06) में 35.5% महिलाओं में जीर्ण ऊर्जा न्यूनता के स्तर से कम है।

समन्वित अंतरक्षेत्रीय कार्रवाई और तिमाही आधार पर पोषण के समीक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की पोषण चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतिगत निर्देश प्रदान करने के लिए उपाध्यक्ष, नीति आयोग की अध्यक्षता में भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है। इसके अलावा, पोषण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश, नीति और दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण संबंधित गतिविधियों के लिए संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के प्रतिनिधित्व सहित सचिव, म.बा.वि.मं. की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति गठित की गई है।

सरकार पोषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। यह मंत्रालय देश में कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित पहलों के रूप में अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस) के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरियों के लिए योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, तालमेल-युक्त और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए एक जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से देश में कुपोषण को कम करने के लिए पोषण अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पोषण अभियान के तहत चलाई जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना; सेवा प्रदायगी और पहलों को सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम, कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर; पोषण के पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन को प्रेरित करने वाले सामुदायिक जुटाव और जागरुकता पैरवी; अग्रणी कार्यकर्ताओं का क्षमता-निर्माण, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना आदि शामिल हैं।

*****